39–(08)–11–2015

**पटना में दिनांक–21 अप्रैल, 2015 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।**

**निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

1. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–13 पर दर्ज "तेली" जाति को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–126 पर स्वतंत्र रूप से "तेली" (हिन्दु एवं मुस्लिम) जाति को शामिल करने के संबंध में।

**1. स्वीकृत।**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–43 पर दर्ज "नइया" जाति को विलोपित करने के संबंध में।

**2. स्वीकृत।**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

3. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–12 पर दर्ज "तमोली" एवं क्रमांक–19 पर दर्ज "बड़ई" जाति को विलोपित कर अत्यंत पिछड़ो वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–125 पर स्वतंत्र रूप से बरई, तमोली (चौरसिया) जाति को शामिल करने के संबंध में।

**3. स्वीकृत।**

| | |
|---|---|
| **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**<br>4. वित्तीय वर्ष 2015–16 से नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम् श्रेणी में उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनकी वार्षिक परिवारिक आय 1,50,000/–रू० (एक लाख पचास हजार) या 1,50,000/–रू० (एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र 10,000/–रू० (दस हजार) की दर से एक मुश्त प्रोत्साहन राशि की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ रू० (दस करोड़ रूपये) की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। वित्तीय वर्ष 2015–16 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना" के तहत् पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के वैसे परिवारों के छात्रों, जो बिहार राज्य के निवासी हैं एवं सरकारी विद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत हैं उनके अभिभावक का वार्षिक आय सीमा 1,50,000/–रू० (एक लाख पचास हजार) या 1,50,000/–रू० (एक लाख पचास हजार) से कम हो, की स्वीकृति के संबंध में। | 4. संलेख की कंडिका 2 'ख' की दूसरी पंक्ति में 'प्रस्वीकृत' के उपरान्त "मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त)" को जोड़ते हुए प्रस्ताव स्वीकृत। |
| **जल संसाधन विभाग**<br>5. "बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली–2015" का गठन। | 5. स्वीकृत। |
| **जल संसाधन विभाग**<br>6. "बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली–2015" का गठन। | 6. स्वीकृत। |
| **सहकारिता विभाग**<br>7. सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली –2015 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन का प्रस्ताव। | 7. स्वीकृत। |
| **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**<br>8. किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन अंचल के मौजा– बस्ताकोला, थाना नं०–49, खाता नं०–25, गैर मजरूआ सर्वसाधारण, खेसरा नं०–154 एवं 155, रकबा क्रमशः 6. 00 एकड़ एवं 24 एकड़ सहित कुल 30 एकड़ जमीन किस्म महानदी/बालु वर्त्तमान स्वरूप–खाली परती एवं आवासीय योग्य भूमि पर पुलिस केन्द्र, किशनगंज की स्थापना हेतु गृह विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। | 8. स्वीकृत। |

## शिक्षा विभाग

9. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015—16 में राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष है, से संबंधित 12,05,470 छात्र (बालक) को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 12087.62 लाख (एक अरब बीस करोड़ सत्तासी लाख बासठ हजार) के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

## शिक्षा विभाग

10. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा राज्य की उच्च जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध में की गयी अनुशंसा के आलोक में इस कोटि के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आयोजित 2015 की प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी में संभावित लगभग 30 (तीस) हजार उत्तीर्ण छात्र, (अल्पसंख्यक सहित) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू० 1,50,000/—(एक लाख पचास हजार) तक हो, को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना के तहत रू० 10,000/—(दस हजार) की एकमुश्त प्रोत्साहन की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16 में लगभग 30 करोड़ (तीस करोड़) मात्र छात्रवृत्ति/वजीफा मद में राशि की विमुक्ति एवं स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

## शिक्षा विभाग

11. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा राज्य की उच्च जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध में की गयी अनुशंसा के आलोक में इस कोटि के राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015—16 में सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त), माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत सामान्य कोटि के 3,30,000 (तीन लाख तीस हजार) छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू० 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार) तक हो, को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 59,40,00,000 लाख (उनसठ करोड़ चालीस लाख) के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

## स्वास्थ्य विभाग

12. डा० अरूण कुमार तिवारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ट नियंत्रण ईकाई बेतिया सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौनहा, पश्चिम चम्पारण को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 12. स्वीकृत।

## सामान्य प्रशासन विभाग

| | | |
|---|---|---|
| 13. | राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा–नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के पश्चात् अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन। | 13. स्वीकृत। |

## सामान्य प्रशासन विभाग

| | | |
|---|---|---|
| 14. | उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा राज्य की उच्च जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंध में की गयी अनुशंसा के आलोक में उच्च जातियों के ऐसे परिवारों के मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों (अल्पसंख्यक सहित), जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत रू० 10,000/–(दस हजार) को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं उच्च जातियों के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) के लिए जिनकी पारिवारिक आय रू० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) से कम हो, शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की स्वीकृति के संबंध में। | 14. स्वीकृत। |